भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2111
31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई की प्रगति

†2111. श्री बसवराज बोम्मई:
श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री आशीष दुबे:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत देश में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले सहित राज्य-वार, लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों के संदर्भ में हुई प्रगति क्या है;
(ख) सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) जैसी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के विस्तार और अन्य योजनाओं के साथ इसके एकीकरण के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और
(घ) स्वयं वहन किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च को कम करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ने के संदर्भ में एबी-पीएमजेएवाई का प्रभाव क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में आने वाले 12 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। मार्च 2024 में, इस योजना का विस्तार करके मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों और आंगनवाड़ी सहायकों के लगभग 37 लाख परिवारों को शामिल किया गया। योजना को अक्टूबर 2024 में और विस्तारित करते हुए 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल किया गया।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देशभर में एबी-पीएमजेएवाई के तहत कुल 12.69 करोड़ अस्पताल भर्ती अनुमोदित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत कवर किए गए पात्र लाभार्थी परिवारों और अधिकृत अस्पताल-भर्ती का कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में

है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में योजना के अंतर्गत कुल 3.76 लाख अस्पताल-भर्ती अधिकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, देश में 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से, उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। ये एएएम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवा, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास संबंधी और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं।

(ग): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी के विकास में सहायता के लिए शुरू किया गया था। एबी-पीएमजेएवाई, निक्षय, आरसीएच और एनसीडी सहित कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्लेटफॉर्म एबीडीएम के साथ एकीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी और निजी अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को भी एबीडीएम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि इन प्रणालियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) बनाने और पूरे पारिस्थितिकी में निर्बाध अंतरसंचालनीयता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सृजित करने और साझा करने में सक्षम हो सके।

सरकार ने एबीडीएम को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें त्वरित पंजीकरण, आसान भुगतान के लिए उपयोग के मामलों का विकास, पूरे भारत में चुनिंदा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को एंड-टू-एंड एबीडीएम अपनाने के लिए विकसित करने हेतु 'मॉडल फैसिलिटी' पहल और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तथा डिजिटल सोल्यूशन कंपनियों को प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने सीडीएसी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और विशेष रूप से छोटे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए एक किफायती एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, एनएचए व्यापार मेलों, मैराथन, चिकित्सा सम्मेलनों, प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से जागरूकता और नागरिक सहभागिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, आभा बनाने और डिजिटल स्वास्थ्य परिचर्या को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एनएचए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एबीडीएम के अपनाने को और सुदृढ़ करने के लिए लक्षित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ और क्षमता निर्माण पहलें भी संचालित करते हैं।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2022-23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय के अनुपात के रूप में जेब से किया जाने वाला खर्च 2014-15 में 62.6% से घटकर 2022-23 में 43.4% हो गया। इस महत्वपूर्ण घटोत्तरी से यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य और सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार में बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश के कारण, परिवार द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या लागत का काफी कम हिस्सा सीधे अपनी जेब से वहन हो रहा है।

इसके अलावा, कई राज्यों ने एबी-पीएमजेएवाई के साथ अपनी राज्य-विशिष्ट योजनाओं को एकीकृत करके केंद्रीय रूप से लक्षित लाभार्थी संख्याओं से अतिरिक्त लाभार्थी आधार को बढ़ाया है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी आधार के विस्तार और विभिन्न राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के एकीकरण ने देश भर में असुरक्षित आबादी तक योजना की पहुँच को काफी बढ़ा दिया है। इन पहलों ने योजना की कवरेज़ को बढ़ाया है, जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य में योगदान मिला है।

अनुलग्नक

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कवर किए गए पात्र लाभार्थी परिवारों और प्राधिकृत अस्पताल-भर्ती मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किए गए पात्र लाभार्थियों की संख्या	प्राधिकृत अस्पताल भर्ती की संख्या (लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32,572	0.048
आंध्र प्रदेश	78,65,341	107.91
अरुणाचल प्रदेश	1,33,249	0.17
असम	37,25,630	21.93
बिहार	1,32,60,433	36.19
चंडीगढ़	1,04,084	1.08
छत्तीसगढ़	45,70,670	92.56
दिल्ली	8,95,526	0.58
गोवा	1,07,089	0.31
गुजरात	67,01,820	87.08
हरियाणा	24,78,787	37.88
हिमाचल प्रदेश	7,99,728	4.97
जम्मू और कश्मीर	10,84,365	21.57
झारखंड	36,19,092	29.88
कर्नाटक	87,51,412	153.44
केरल	35,94,528	81.90
लद्दाख	24,474	0.38
लक्षद्वीप	3,498	0.02
मध्य प्रदेश	1,06,34,139	81.03
महाराष्ट्र	1,32,92,650	51.26

मणिपुर	3,73,701	3.53
मेघालय	4,30,702	13.41
मिजोरम	2,26,156	2.12
नागालैंड	2,96,233	1.41
ओडिशा	77,79,939	19.06
पुदुच्चेरी	1,52,164	1.98
पंजाब	27,35,109	36.58
राजस्थान	80,72,469	92.97
सिक्किम	58,764	0.50
तमिलनाडु	1,16,21,507	127.45
तेलंगाना	39,78,169	31.09
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	49,733	1.74
त्रिपुरा	6,27,394	6.51
उत्तर प्रदेश	1,80,17,007	100.98
उत्तराखंड	9,73,184	20.25
पश्चिम बंगाल*	1,43,39,146	उपलब्ध नहीं

* *पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हाल ही में किए गए हैं।*

******